"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 सितम्बर 2005—भाद्र 25, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2005

अधिसूचना

फा. क्र. 7393/डी-2160/21-ब/छ.ग./05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, लागू भर्ती नियमों के अतिरिक्त जिला न्यायालय की स्थापना में शीघ्रलेखक, स्टेनो-टाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड-तीन के भर्ती नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-2 के उपनियम (क) का लोप किया जाए.

2. नियम-2 के उपनियम (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्—

"शीघ्रलेखक तथा मुद्रलेखन परीक्षा का मान्यता प्राप्त बोर्ड" से अभिप्रेत है, "छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष बोर्ड".

3. नियम-3 के उपनियम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्—

"छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो."

4. नियम-3 के उपनियम (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्—

"स्टेनोग्राफर/स्टेनो-टाइपिस्ट पद हेतु हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र रखता हो."

Raipur, the 16th September 2005

NOTIFICATION

F. No. 7393/D-2160/XXI-B/C.G./05.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in addition to rules applicable to the District Court Establishment Recruitment of Stenographer, Steno-typist and Assistant Grade-III Rules, 2005 :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. Sub-rule (a) of rule-2 shall be omitted.

2. For sub-rule (h) of rule-2 the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"Recognised Board of Shorthand and typewriting Examination" means the "Board of Chhattisgarh Shorthand and typewriting Examination or any other equivalent Board recognised by the Government."

3. For sub-rule (b) of rule-3, the following sub-rule shall be substituted—

"has passed Hindi typing from recognised Board of Chhattisgarh or Madhya Pradesh State Shorthand and Typewriting Examination or any other equivalent Board recognised by the Government."

4. After sub-rule (c) of rule-3, the following sub-rule (d) shall be inserted, namely—

"Possesses a certificate of passing Hindi Shorthand Typing Examination for the post of Stenographer/Steno-typist."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंत रे, प्रभारी सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.